Form-1

For Project other than nonlinear projects

Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 783/XXIV-ALCI 2018-19

Dated. 27 - 6 - 19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

It is further certified that

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature

District व्यक्तिस्पर्का,

Teles Garnwal

FORM-II

(For Project other than nonlinear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri

No-

Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified the 0.600 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of District Youth Walfare and P.R.D. Officer, Youth Watfare and P.R.D. Dept., Tehri Garhwal (name of user agency) for मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड—हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Jhald Village in Devprayag Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.600 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.......to annexur.......
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issues by the garm sabha of Jhald village (s) is enclosed as annexure.....to annexure......
- (d) The discussion decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

(Full Name of official seal of the District Collector)

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—76/2017 विकास खण्ड—हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव scheme regarding FRA is ad following .

Sr. No.		
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	habitants belonging to scheduled tribes and
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	habitants belonging to scheduled tribes and

जिला पंचायत सदस्य, A

ુ હુઇ-વુડા... હિતી મદયાત

जिला युवा कल्याण एवं ग्रास्तीय रक्षक्त दला अधिकारी, टिहिसी गढवास समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (वेवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल

प्रतिहस्ताक्षरित

ं जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल

प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dated:					•							•				

District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

परियोजना का नाम :— मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड–हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनुसूचित् जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, देवप्रयाग

उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल क्षेत्र में मिनी स्टेडियम हेतु आरक्षित वन भूमि त्यूणा क0सं0-01में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु 0.600 है० आरक्षित वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, विभाग, टिहरी गढवाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–देवप्रयाग) की दिनांक– <u>०८-०२ -२०१</u> को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मही ज़ुमूद ज़ुक्त उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :-

अध्यक्ष।

सदस्य।

1. श्रीम्मी तुम् वर्म अपजिलाधिकारी
2. श्री इंग्डि प्रिक्ट वर्म उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्रीमात मनीषा तिवाही स०समाज कल्याण अधिकारी, हिण्डोलाखाल

सदस्य / सचिव।

4. श्री जपपाटा सिर्पारा बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख हिण्डोलाखाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य हेत् 0.600 है0 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढवाल, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी गढवाल द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय संदरयों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मित से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढवाल, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि०ग०।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनाार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,

। उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि०ग०।

प्रारुप-30.2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग उपखण्ड स्तरीय समिति, देवप्रयाग टिहरी गढवाल।

आज दिनांक—<u>्रड्र-०२-२०१२</u> को मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–76/2017 विकास खण्ड—हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य हेतु भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :—

क्र0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
सं०			
1	श्रीमती नुपुर वर्ग	उपजिलाधिकारी, देवप्रयाग	Jams
			8
2	श्री डींह पी बलू नी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग	Deal
3	श्रीमाटे मनीषा तिवाडी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	Him
4	श्री स्तारी देशी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख हिण्डोलाखाल	25-11-11-13-01

परियोजना का नाम :— मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत / ग्राम पंचायत का नाम— झिल्ड) तहसील–प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-76/2017 विकास खण्ड-हिन्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 0.600 है0 आरक्षित वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टि०ग०,/संस्था के पक्ष मे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायतभू लुड के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, टिहरी गढवाल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रवीन कुमार आय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत क्रिक्ट सुनीता देवी ग्राम पंचायत स्टिक्ट देवम् अधिकारी सुनीता देवी ग्राम पंचायत सहस्य स्टिक्ट विकास खण्ड देवम् अधिकारी स्टिक्ट स्टिक स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक स्टिक्ट स्टिक्ट स्टिक स्टिक्ट स्टिक स्टिक

ह०/ — प्रयोक्तावरकेन्सी एकीय न

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो बतद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-30.4

दिनांक...<u>५-१७--२०१२)</u> को ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की सम्पन्न वैटक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत. अर्ह्ड

क्रमांक	गाम में जगकिगति वकित गणनकों ने (०-	
01	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम स्वास्वित सिंह	हस्ताक्षर
02		Bamo
03	नवम चिह	Shan de
04	0 ' 0	21418120
05	O track	79571602
06	म्यानी देवी	11 000
07	सच्च पाप	भवानि। अच्छिद्धास्त्र
08	-च=६मा देवी	चन्द्रमा देवी
09	सजनी देवी	संजनी देती
10	निमला करी	144 m/23
11	ग्रानेश देन	11000
12	त्र्यमा देवी	234271 60
13	रामे स्वरी देवी	वामा2वरी हैवी
14	जावली देवी	ग ब्ली
15	्पूष्पा देवी	441541
16	स्त्र-गीता देवी	स्नीतार्व
17	रामेयवरी देवी	राम्यवरी ली
18	ग्रीयानी केवी-	रीशनी है वी
19	मंज देवी	मन्द्र देवी
20	ग्राग देवी	31317 20
21	ने बार वी देव	95-1141/41
22	ञ्चारी देव)	49/2/2017
23	वासी देवी	2/9/20
24	सत्येखरी देवी	401901
25	वेसामा देवी	19 मा हैती
26	माया देवी	माया हैवा
27	स्मादिन स्मीतादेन	पुष्पा द्वा २
28	1 11 1	ETZIGIA / 501
	भूतायत सदस्य की याज	al trible
ग्राम पंचा	विशेष हिमार आर्थ	पुर हार हो।
ग्राम	पत्रिका जिंकारी क्षेत्र पंचायत - देवप्रयान ।	
वि	उ देल पोग 0) जिला- चिती नज्याल (उत्पादक)	